



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 04.08.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 430/25 धारा 196(2) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.08.2025 को वादी श्री सन्दीप कौशिक पुत्र श्री बागेश्वर प्रसाद निवासी मौ0 कायस्थान शिवलोक कालोनी थाना चाँदपुर बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सादिक पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा पूर्व में अपने भतीजे आरिफ पुत्र फारुख के विरुद्ध थाना चांदपुर पर पंजीकृत किये गये मु0अ0सं0 414/2025 धारा 296, 352, 351(2), 123, 64(1), 318(4), 336(3) बीएनएस व 03 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सम्बंध में न्यूज चैनल पर अनर्गल / भ्रामक वक्तव्य दिया गया, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति हो सकती है । इस सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 430/25 धारा 196(2) बीएनएस बनाम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त सादिक पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चादपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सादिक पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री हिमाँशु पंवार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1504 अनिल दयाल थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 04.08.2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में 34वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

दिनांक 29.05.2021 को थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शानू उर्फ गोल्टा पुत्र तसलीम गोल्टा निवासी ग्राम मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को 500 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना पर 204/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.08.2025 को मा0 न्यायालय ADJ-III, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 204/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त शानू उर्फ गोल्टा उपरोक्त को 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शानू उर्फ गोल्टा थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर (H.S No. 38(A)) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो पर लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट आदि जैसी गंभीर धाराओं में करीब ढाई दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

शानू उर्फ गोल्टा (हिस्ट्रीशीटर) पुत्र तसलीम गोल्टा निवासी ग्राम मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ।